

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 16

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2017-2018 | | | बजट 2018-2019 | | | संशोधित 2018-2019 | | | बजट 2019-2020 | | |
|---|--------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | राजस्व | पूँजी | जोड़ | राजस्व | पूँजी | जोड़ | राजस्व | पूँजी | जोड़ | राजस्व | पूँजी | जोड़ |
| कुल | 505.63 | 20.79 | 526.42 | 567.65 | 26.50 | 594.15 | 588.98 | 36.00 | 624.98 | 570.34 | 41.00 | 611.34 |
| वसूलियां | -15.59 | ... | -15.59 | -30.00 | ... | -30.00 | -30.00 | ... | -30.00 | -25.00 | ... | -25.00 |
| प्राप्तियां | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| निवल | 490.04 | 20.79 | 510.83 | 537.65 | 26.50 | 564.15 | 558.98 | 36.00 | 594.98 | 545.34 | 41.00 | 586.34 |
| क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है: | | | | | | | | | | | | |
| केंद्र का व्यय | | | | | | | | | | | | |
| केन्द्र का स्थापना व्यय | | | | | | | | | | | | |
| 1. संचालन | 141.69 | ... | 141.69 | 153.10 | ... | 153.10 | 164.19 | ... | 164.19 | 193.26 | ... | 193.26 |
| 2. कारपोरेट विधि नियम | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 संयुक्त स्टॉक कंपनियों का रजिस्ट्रार | 59.73 | ... | 59.73 | 53.04 | ... | 53.04 | 60.70 | ... | 60.70 | 59.47 | ... | 59.47 |
| 2.02 क्षेत्रीय निवेशक, आधिकारिक परिसमाप्तक और कंपनी अधिनियम के अधीन विभिन्न निकायों के संदर्भ में अन्य व्यय | 106.88 | ... | 106.88 | 177.54 | ... | 177.54 | 146.81 | ... | 146.81 | 177.12 | ... | 177.12 |
| जोड़- कारपोरेट विधि नियम | 166.61 | ... | 166.61 | 230.58 | ... | 230.58 | 207.51 | ... | 207.51 | 236.59 | ... | 236.59 |
| 3. वास्तविक वसूलियां | -0.01 | ... | -0.01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय | 308.29 | ... | 308.29 | 383.68 | ... | 383.68 | 371.70 | ... | 371.70 | 429.85 | ... | 429.85 |
| केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं | | | | | | | | | | | | |
| 4. लेखांकन और वित्त सेवाओं पर चैपियन सेवा क्षेत्र योजना | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.00 | ... | 5.00 |
| कॉरपोरेट अंकड़ा प्रबंधन प्रणाली | | | | | | | | | | | | |
| 5. कारपोरेट अंकड़ा प्रबंधन (सीडीएम) | 3.71 | ... | 3.71 | 4.00 | ... | 4.00 | 4.50 | ... | 4.50 | 4.95 | ... | 4.95 |
| 6. डाटा माइनिंग प्रणाली (डीएमएस) | ... | 0.46 | 0.46 | ... | 1.50 | 1.50 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 |
| जोड़-कॉरपोरेट अंकड़ा प्रबंधन प्रणाली | 3.71 | 0.46 | 4.17 | 4.00 | 1.50 | 5.50 | 4.50 | 1.00 | 5.50 | 4.95 | 1.00 | 5.95 |
| जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं | 3.71 | 0.46 | 4.17 | 4.00 | 1.50 | 5.50 | 4.50 | 1.00 | 5.50 | 9.95 | 1.00 | 10.95 |
| केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय | | | | | | | | | | | | |
| सांविधिक और विनियामक निकाय | | | | | | | | | | | | |
| 7. भारतीय दिवालियापन और शोधन अक्षमता बोर्ड | 6.50 | ... | 6.50 | 11.07 | ... | 11.07 | 17.07 | ... | 17.07 | 21.90 | ... | 21.90 |
| 8. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग | 119.27 | ... | 119.27 | 133.00 | ... | 133.00 | 160.81 | ... | 160.81 | 79.89 | ... | 79.89 |
| जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय | 125.77 | ... | 125.77 | 144.07 | ... | 144.07 | 177.88 | ... | 177.88 | 101.79 | ... | 101.79 |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2017-2018 | | | बजट 2018-2019 | | | संशोधित 2018-2019 | | | बजट 2019-2020 | | |
|---|--------------------|-------|--------|---------------|-------|--------|-------------------|-------|--------|---------------|-------|--------|
| | राजस्व | पूँजी | जोड़ | राजस्व | पूँजी | जोड़ | राजस्व | पूँजी | जोड़ | राजस्व | पूँजी | जोड़ |
| स्वायत्तंत्र निकाय | | | | | | | | | | | | |
| 9. भारतीय कारपोरेट कार्य मंत्रालय (आईआईसीए) | 7.85 | ... | 7.85 | 5.90 | ... | 5.90 | 4.90 | ... | 4.90 | 3.75 | ... | 3.75 |
| अन्य | | | | | | | | | | | | |
| 10. निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि | | | | | | | | | | | | |
| 10.01 निवेशकों को दावा न किए गए लाभांश की वापसी | 60.00 | ... | 60.00 | 30.00 | ... | 30.00 | 30.00 | ... | 30.00 | 25.00 | ... | 25.00 |
| 10.02 घटाएं आईईपीएफ से की गई वसूलियां | -15.58 | ... | -15.58 | -30.00 | ... | -30.00 | -30.00 | ... | -30.00 | -25.00 | ... | -25.00 |
| | निवेशक | 44.42 | ... | 44.42 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11. मुख्य निर्माण कार्य - भूमि और भवन | ... | 20.33 | 20.33 | ... | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| जोड़-अन्य | 44.42 | 20.33 | 64.75 | ... | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय | 178.04 | 20.33 | 198.37 | 149.97 | 25.00 | 174.97 | 182.78 | 35.00 | 217.78 | 105.54 | 40.00 | 145.54 |
| कुल जोड़ | 490.04 | 20.79 | 510.83 | 537.65 | 26.50 | 564.15 | 558.98 | 36.00 | 594.98 | 545.34 | 41.00 | 586.34 |
| ख. विकास शीर्ष | | | | | | | | | | | | |
| आर्थिक सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं | 309.09 | ... | 309.09 | 290.10 | ... | 290.10 | 329.50 | ... | 329.50 | 283.10 | ... | 283.10 |
| 2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 180.95 | ... | 180.95 | 247.55 | ... | 247.55 | 229.48 | ... | 229.48 | 262.24 | ... | 262.24 |
| 3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय | ... | 20.79 | 20.79 | ... | 26.50 | 26.50 | ... | 36.00 | 36.00 | ... | 41.00 | 41.00 |
| जोड़-आर्थिक सेवाएं | 490.04 | 20.79 | 510.83 | 537.65 | 26.50 | 564.15 | 558.98 | 36.00 | 594.98 | 545.34 | 41.00 | 586.34 |
| कुल जोड़ | 490.04 | 20.79 | 510.83 | 537.65 | 26.50 | 564.15 | 558.98 | 36.00 | 594.98 | 545.34 | 41.00 | 586.34 |

1. **सचिवालय:** इसमें मंत्रालय के सचिवालय व्यय और ई-गवर्नेंस परियोजना (एमसीए21) के लिए प्रावधान है।

2.01. **संयुक्त स्टॉक कंपनियों का रजिस्ट्रार:** इसमें विभिन्न राज्यों में स्थित कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक कार्यालयों और कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों पर होने वाले व्यय का प्रावधान है। इन कार्यालयों के मुख्य कार्य कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और कंपनी अधिनियम, 1956 की शेष धाराओं के अधीन परिव्ययिक और प्राइवेट कंपनियों की रजिस्ट्री, वार्षिक रिटर्न, तुलन पत्र और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा करना तथा ऐसी संवीक्षा के परिणामस्वरूप ध्यान में आने वाली अनियमितताओं पर अपेक्षित कार्रवाई करना है। कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक कार्यालय अर्थात् पंजीकरण का कार्य और परिसमापन के प्रयोजनों के लिए शासकीय समापक का कार्य करते हैं। ये कार्यालय उच्च न्यायालयों के साथ संबद्ध होते हैं और ये अनिवार्य परिसमापन के अधीन कंपनियों के प्रभारी होते हैं।

2.02. **क्षेत्रीय निवेशक, आर्थिक विभिन्न सेवाएं** और कंपनी अधिनियम के अधीन विभिन्न निकायों के संदर्भ में अन्य व्यय: क्षेत्रीय निवेशक अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक कार्यालयों, कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक कार्यालयों का पर्योक्त्वण, परामर्श एवं मार्गदर्शन करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार शासकीय समापकों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है और ये उच्च न्यायालयों से संबद्ध होते हैं। ये कार्यालय परिसमापन की जारी रही कंपनियों के प्रभारी हैं। महानिवेशक, कारपोरेट कार्य की भूमिका मंत्रालय और देश भर के क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच संपर्क स्थापित करने की है।

अन्य व्यय में, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ), राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी), प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (कॉम्पैट), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अपील अधिकरण (एनएफआरएए), विशेष न्यायालयों और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के लिए प्रावधान हैं।

4. **लेखांकन और वित्त सेवाओं पर चैपियन सेवा क्षेत्र योजना:** वित्तीय सेवाओं में लेखांकन पर चैपियन सेवा क्षेत्र योजना के तहत जीएसटी खाता सहायक योजना के लिए प्रावधान है।

5. **कारपोरेट आंकड़ा प्रबंधन (सीडीएम):** कारपोरेट डाटा प्रबंधन योजना में मंत्रालय में इन-हाउस डाटा माइनिंग और विद्युतप्रणालीक सुविधा तैयार करने का प्रस्ताव है जिससे कारपोरेट रजिस्ट्री में सूचना क्षेत्र के विशाल संग्रह का प्रभावी उपयोग किया जा सके। इस सुविधा का लक्ष्य सभी द्वितीयारकों को अधिक सुगम तरीके से वास्तविक और सही डाटा उपलब्ध कराने के साथ-साथ, इस मंत्रालय और अन्य निति या निर्णय लेने वाली सरकारी या गैर सरकारी एजेंसियों को व्यवस्थित और संरचनागत तरीके से सूचना उपलब्ध कराना है।

6. **डाटा माइनिंग प्रणाली (डीएमएस):** इसमें डाटा प्रबंधन प्रणाली के लिए साप्टवेयर लाइसेंस और आईटी संवर्धी उत्पादों की खरीद के लिए पूँजी खंड के अधीन खर्च का प्रावधान है।

7. **भारतीय दिवालियापन और शोधन अक्षमता बोर्ड:** दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुसार इस मंत्रालय ने कारपोरेट निकायों, भागीदारी फर्मों और व्यक्तियों का समयबद्ध रीति में पुनर्गठन और दिवालियापन समाधान करने से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए भारतीय दिवालियापन और शोधन अक्षमता बोर्ड का गठन किया है ताकि ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के मूल्य की अधिकतम वृद्धि करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने, कृष्ण की उपलब्धता और सरकारी देवराशि के भुगतान को प्राथमिकता देने हुए परिवर्तन सहित सभी पक्षकारों के हितों में संतुलन बनाया जा सके तथा इससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए भारतीय दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता तैयार की जा सके।

8. **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग:** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना वाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने के लिए की गई। पूर्व एमआरटीपी आयोग के समक्ष लंबित सभी मामले प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण या प्रतिस्पर्धा आयोग को अंतरित हो गए हैं। इसमें सामान्य अनुदान सहायता, अनुदान-सहायता वेतन और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मूंजीगत आस्तियों के मृजन के लिए अनुदान आदि का प्रावधान है।

9. **भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए):** सहक्रियाशील ज्ञान प्रबंधन, भागीदारी और वन-स्टाप-शॉप मोड के माध्यम से कारपोरेट विकास, सुधारों और विनियमों के लिए समग्र विचार-मंच, अमता निर्माण और सेवा सुपुर्दिती संस्थान के रूप में कार्यरत।

10.01. **निवेशकों को दावा न किए गए लाभोंश की वापसी:** दावेदारों को भुगतान/दावा न की गई राशि का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) से संवितरण करने के लिए प्रावधान है।

10.02. **घटाएं आईईपीएफ से की गई वसूलियां:** निवेशकों को लौटाने हेतु निधि का प्रावधान है।

11. **मुख्य निर्माण कार्य - भूमि और भवन:** इसमें कार्यालयों के लिए कार्यालय परिसर/कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास हेतु भूमि/भवन/निर्माण पर होने वाले खर्च का प्रावधान है।